



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, - 14 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavisya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaji Cama Palace, New Delhi -110066
www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

No: Pen-3/7(132)18/RTI/विष्णु गजानन पांडे

दिनांक :

07 MAR 2018

सेवा में,

✓ ALL CPIOs/ROs,

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के संबंध में ।

महोदय,

श्री विष्णु गजानन पांडे से आर.टी.आई आवेदन दिनांक 24.01.2018/02.02.2018 पेंशन अनुभाग में दिनांक 22.02.2018 को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्रेषित करने हेतु आवेदन किया है (संलग्न), अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार सूचना प्रेषित करने हेतु किया जा रहा है ।

धारा 7(1) में प्रावधान है की अनुरोध की गई सूचना को जहां तक संभव हो तत्काल उपलब्ध कराया जाए या रद्द किया जाय लेकिन इसे प्राथी को 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से सूचना रद्द करने का कारण लिखित में उपलब्ध कराया जाए अन्यथा इसे इंकार माना जाएगा ।

आवेदन की सूचना /रद्द करने के कारण सीधे बताए जाएं । यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदनकर्ता ने 10/- रूपए (केवल दस रूपए) का आवश्यक अपेक्षित शुल्क जमा करा दिया है ।

आवेदक को , अनुरोध का उत्तर देते समय , अपील प्राधिकारी का बयौरा पदनाम एवं पता उपलब्ध कराया जाए ताकि सूचना से असंतुष्ट होने पर अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील दायर की जा सके ।

भवदीय,

6/3/18
(मुकेश कुमार)

सी. पी.आई.ओ /क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -II. (पेंशन)

प्रतिलिपि :

1. श्री विष्णु गजानन पांडे
बी -3/29, पत्रकार सहनिवास ,
सिविल लाइन्स , अमरावती रोड ,
नागपुर

आपसे अनुरोध है की आगे की सूचना के लिए उपरोक्त CPIO को संपर्क करें

2. पत्र संख्या एनजी /एनएजी /सूचना का अधिकार /2017-18/487/619 दिनांक 16.02.2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ :



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय(उप भवन)/Regional Office (Annex Building)

शामबाग, उमरेड रोड, नागपुर-440024

Shambag, Umred Road, Nagpur - 440 024

संख्याNo: एनजी/एनएजी/सूचनाकाधिकार/2017-18/487/ 619

दिनांक Dt.: 16/02/2018

MOST URGENT/RTI MATTER/TIME BOUND

To,

The Central Public Information Officer (Pension),

Employees' Provident Fund Organisation,

Head Office,

Bhavishya Nidhi Bhavan,

14, Bhikaji Kama Place,

New Delhi - 110 066

(for point No. 6 only)

RTI

Sub:- Transfer of RTI application under Section 6(3) of RTI Act'2005 for supply of information under
RIGHT TO INFORMATION ACT-2005 to Shri Vishnu Gajanan Pande -regarding

Whereas, Shri Vishnu Ganajan Pande has filed application in writing received on 05/02/2018 through
CPIO, RO, Nagpur for obtaining information under Section 6(1) of the RTI Act, 2005. The information sought
by the applicant at point No. 6 is closely related to and held by the CPIO (Pension), EPFO, H.O. New Delhi

2. Whereas the undersigned having been appointed as Central Public Information Officer under Section
5(1) of the said Act is required to consider and provide the information within 30 days of the receipt of the
request.

3. And whereas Section 5(4) of the Act provides the Central Public Information Officer may seek the
assistance of any other officer as he considers it necessary for the proper discharge of his duties. Sub-
section (5) further provides that any officer whose assistance has been sought shall render all assistance to
the Central Public Information Officer, Once the complaint is referred "for the purposes of any contravention
of the provisions of the Act, such other officer shall be treated as Central Public Information Officer" and
may be liable for penalties under section 20 of the said Act. Further in the event of violation of provisions /
non-furnishing of documents / information such an officer is liable for penalties under Section 20(1) of the
Act @Rs. 250/- for each day of delay which may extend up to Rs.25000/-.

4. And whereas under Section 6(3) of Right to information Act it has been provided that

"Where an application is made to a public authority requesting for an information :-

- (i) which is held by another public authority; or
- (ii) The subject matter of which is more closely connected with the functions of another public authority.

contd page 2

155
26/2/18

The public authority, to which such application is made, shall transfer the application or such part of it as may be appropriate to that other public authority and inform the applicant immediately about such transfer."

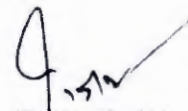
(5) Whereas on scrutiny of the application I find that the information sought by the applicant is closely related to and held by the CPIO(Pension), EPFO, H.O. New Delhi the undersigned invokes the provisions of section 5(4) of the said Act and transfer the application partially to furnish the information / documents sought by the applicant under the Act within 7 days of the receipt of this communication directly to the applicant under intimation to the undersigned. You may please note that any delay in furnishing the information / documents sought for within the stipulated time limit will attract the penal provision as provided for under Section 20 of the Right to Information Act.

(6) Name and address of the Appellate Authority may also be mentioned in the reply, so that the applicant can make an appeal within 30 days from the expiry of such period or from the receipt of decision given by the public authority, if he is aggrieved by the decision.

(7) Prescribed fee of Rs.10/- has been received from the applicant.

(8) This may please be treated as most urgent.

Yours Sincerely,



(R. W. Thule)

CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER
REGIONAL OFFICE, NAGPUR.

Encl : R.T.I. Application Dt. 05/02/2018

Copy to:-

Shri Vishnu Gajanan Pande,
B-3/29, Patrakar Sahanivas,
Civil Lines, Amravati Road,
Nagpur - 440 001

.....For information with respect to his RTI application dated
24/01/2018 received in office dated 05/02/2018.

① RTI-465

25-01-18 क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय

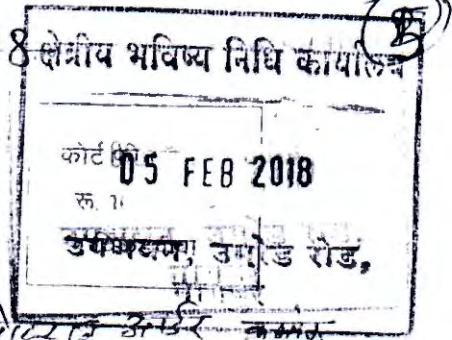
2/2/2018

② जोडपत्र - अ
RTI-487
(नियंत्रण प्रमाण)

05-02-18

माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005

प्रमाणे राखण्याचा अर्जाचा नमुना



286

5/1/18

प्रति. मा. भविष्य निधि आ. यु. मा.

क्षेत्रीय भविष्य निधि - तथा माहिती अधिकारी
क. प. लि. म., नागपुर.

संलग्न 2 फोटोस अर्ज करून देऊन

(1) 65C 856710 (रु. 5) रु. 10 मात
(2) 65C 856711 (रु. 5)

1) अर्जदाराचे संपूर्ण नाव

2) संपूर्ण पत्ता

विष्णु गजानन पांडे

13/3/29, पत्रकार सहनिवास, सिविल
लाईन, अमरावती रोड, नागपुर-440001

3) आवश्यक असलेल्या माहितीचा तपशील

(i) माहितीचा दिवस

(ii) माहिती संबंधीत कालावधी

(iii) आवश्यक असलेल्या

माहितीचे वर्णन/ तपशील

(iv) माहिती टपालद्वारे किंवा

व्यवधीत आवश्यक किंवा कसे

(v) टपालद्वारे असेल त्याबाबतीत

साधेपोस्ट, नोंदणी डाक किंवा शिघ्रपोस्ट

4) अर्जदार दारीद्वय रेषे खालील आहे काय

(असल्यास त्याच्या पुराव्याची झेरोक्स प्रत

जोडणे आवश्यक आहे)

ठिकाण :- नागपुर

दिनांक 24/1/2018/2/2/18

संलग्न

E P F PENSION

9 JANUARY 2018

संलग्न

पोस्ट ऑफिस के माध्यम से

शिघ्र पोस्ट

नही

(Pande
अर्जदाराची स्वाक्षरी
(विष्णु गजानन पांडे)

* दिवसाचा स्थूल प्रवर्ग दर्शविण्यात यावा (शासकीय जमीन देणे/ सेवा बाबी / परवाने इत्यादी)

ज्या कालावधी संबंधीतील माहिती आवश्यक आहे तो कालावधी दर्शविणे

5 माहितीचा विशिष्ट तपशील दर्शविणे आवश्यक आहे.

माहिती गजनी सूचना

- क्या पेंशन पुनर्रचना (Revise Pension) के संबंध में
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा E Civil appeals No
100013-100014 of 2016 arising out of SLP No 330321,
33033 both of 2015 (Harsh Gupta V/S Regional PF Commissioner
दिल्ले ज्ये निराले के पक्षमात पेंशन पुनर्रचना (Revise Pension)
- 2 -)

के लिए आवेदन करने वाले आवेदन कृतियों को
कार्म - 3A देने संबंधी निर्देश / आदेश। क्षेत्रीय
अविष्य निधि आयुक्त, नागपुर / केन्द्रीय अविष्य निधि
कार्यालय उरा। संबंधित नियोजकों, प्रबंधकों,
पेंशनरी मालिकों / व्यावसायिक संगठनों / संस्थाओं को
दिए हैं।

2. यदि हां, तो वे कल, जिस तारीख और दिनांक
संगठनों को दिए गए हैं, उनकी संख्या बताएं
3. यदि नहीं, तो किस कारण ऐसे निर्देश जारी
नहीं दिए गए थे बताएं
4. यदि आदेश जारी किया गया है तो उसकी प्रतिलिपि
द देने को सुपा करें।
5. क्या क्षेत्रीय अविष्य निधि कार्यालय, नागपुर के
अंतर्गत आने वाले समाचार पत्रों यथा - नवभारत,
लोकमत, लोकमत समाचार दैनिक भास्कर, द हिन्दू
व अन्य के नियोजकों और प्रबंधकों को
(Revised Pension) पेंशन पुनर्विचार के लिए
आवेदन करने वाले आवेदन कृतियों को कार्म 3A
की प्रमाणित प्रति देने संबंधी निर्देश जारी किए
हैं? यदि हां तो उस आदेश की प्रतिलिपि देने
को सुपा करें।
6. केन्द्रीय अविष्य निधि कार्यालय दिल्ली के अंतर्गत आने वाले
कितने क्षेत्रीय कार्यालयों ने कार्म 3-A जारी करने के
संबंध में निर्देश दिए हैं उनके नाम व आदेश जारी
करने की तिथि बताएं व आदेश की प्रतिलिपि
द देने को सुपा करें।

(केन्द्रीय
Pension)
(विषय गजानन जोड़े)
... 1774